

पी.टी.ई.टी. परीक्षा-2024 हेतु सामान्य नियम एवं मार्गदर्शन

राजस्थान के विभिन्न महाविद्यालयों में बी.एड पाठ्यक्रमों में सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा (पीटीईटी-2024) वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के द्वारा राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदत्त नियमों के अनुसार आयोजित होगी।

बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नियम

1. राजस्थान के बी.एड महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु पी.टी.ई.टी.-2024 परीक्षा करवाई जायेगी। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं, जिसका शुल्क 500/- रुपये है। अभ्यर्थी आवेदन 31 मार्च, 2024 तक कर सकेंगे।
2. वे आवेदक जिन्होंने विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक/ स्नातकोत्तर परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक उत्तीर्ण की है, जो राजस्थान राज्य के विश्वविद्यालयों की स्नातक/ स्नातकोत्तर परीक्षा के समतुल्य मानी गई हो। अनु. जाति, अनु. जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग वर्ग, विधवा, परित्यक्ता महिला अभ्यर्थियों (सभी आरक्षित श्रेणी केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी) के लिए वांछनीय योग्यता स्नातक अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक है। न्यूनतम प्रतिशत में किसी भी प्रकार की छूट नहीं है (एक अंक की भी नहीं)।
3. एकल बैठक (Single Sitting) परीक्षा पद्धति से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी चाहे उन्होंने बाद में स्नातकोत्तर परीक्षा भी उत्तीर्ण क्यों न कर ली हो, पी.टी.ई.टी.-2024 हेतु पात्र नहीं है, इसी प्रकार वे अभ्यर्थी जिन्होंने 10+2+3 या 10+1+3 परीक्षा पद्धति से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है वे भी पात्र नहीं हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा से बीएपी/बीसीपी/बीएससीपी परीक्षा उत्तीर्ण की है और तत्पश्चात तीन साल की स्नातक उत्तीर्ण की है, वे भी पी.टी.ई.टी.-2024 प्रवेश परीक्षा और योग्यता के अनुसार प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
4. बी.ए./बी.कॉम/बी.एससी./शिक्षा शास्त्री परीक्षा के अन्तिम वर्ष या एम.ए./एम.कॉम/एम.एस.सी./आचार्य के अन्तिम वर्ष के अभ्यर्थी भी पी.टी.ई.टी.-2024 परीक्षा हेतु योग्य हैं, बशर्ते वे काउंसलिंग में पंजीकरण की अन्तिम तिथि से पूर्व अर्हता परीक्षा की अंकतालिका जमा करवा दे।
5. पी.टी.ई.टी.-2024 में प्राप्तांक के आधार पर योग्यता सूची नियमानुसार तैयार की जायेगी।
6. ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु शुल्क रुपये 5000/- है। यह राशि कुल फीस में समायोजित की जायेगी। ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेकर संबंधित कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करने पर जमा राशि में से रुपये 200/- की कटौती की जायेगी तथा यदि विद्यार्थी शुल्क जमा करवा देता है तथा तत्पश्चात कॉलेज रिपोर्टिंग नहीं करता है तब रुपये 600/- कटौती की जायेगी।
7. प्रत्येक संकाय (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय) में उपलब्ध कुल सीटों में राजस्थान राज्य के मूल अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार के नियमानुसार आरक्षण की स्थिति निम्नानुसार होगी:-

आरक्षण तालिका

क्रमांक	वर्ग	आरक्षण
I.	अनु. जाति वर्ग के लिए	16%
II.	अनु. जनजाति वर्ग के लिए	12%
III.	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए	21%
IV.	अति पिछड़ा वर्ग (MBC)	5 %
V.	महिला (इसमें से 8 प्रतिशत सीट विधवा वर्ग की महिला एवं 2 प्रतिशत सीट तलाकशुदा वर्ग की महिलाओं के लिए)	राज्य सरकार के नियमानुसार
VI.	दिव्यांग वर्ग के लिए (including blind, deaf and/or dumb and orthopaedic) यह लाभ चिकित्सा प्रमाण पत्र संख्या-4 में सक्षम चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सा बोर्ड और सह आचार्य मेडिकल कॉलेज या सी.एच.एम.ओ.) द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिया जायेगा।	5%
VII.	रक्षा सेवा या पूर्व रक्षा सेवा के आश्रितों के लिए (केवल जल, थल, नभ सेना)	5%
VIII.	आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS)	10%

नोट :-

- a. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- b. अन्य पिछड़ा वर्ग का नॉन-क्रीमी लेयर का प्रमाण-पत्र काउंसलिंग की तिथि को एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए इस सन्दर्भ में कोई भी स्व-घोषणा पत्र/एफिडेविट/ नये प्रमाण-पत्र हेतु जमा किए गए आवेदन की प्रति या अन्य कोई भी दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। काउंसलिंग की तिथि को अन्य पिछड़ा वर्ग के नॉन-क्रीमीलेयर का मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर सम्बन्धित श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा।
- c. आर्थिक पिछड़े वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों को आय प्रमाण-पत्र व अन्य प्रमाण-पत्र राजस्थान सरकार के नियमानुसार प्रस्तुत करना होगा।
- d. रक्षा आश्रितों का लाभ पुत्र, पुत्री, पत्नी या पति को ही देय होगा। सगी बहन और सगे भाई को भी रक्षा कर्मियों के वार्ड के रूप में माना जा सकता है, बशर्ते वे अभिभावक रक्षा कर्मियों पर निर्भर हों और अभ्यर्थी के माता-पिता जीवित न हों।
- e. तलाकशुदा महिला को लाभ हेतु न्यायालय से तलाक का निर्णय प्रस्तुत करना होगा एवं नोटरी द्वारा प्रमाणित यह शपथ-पत्र देना होगा कि उसने पुनः विवाह नहीं किया है।
- f. रक्षा आश्रितों हेतु प्रमाण पत्र संबंधित यूनिट के मेजर/ सैनिक बोर्ड के सचिव द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा इसके अभाव में इस श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा, बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. एवं अन्य पैरामिलिट्री बलों के कर्मियों/अधिकारियों व आश्रितों को यह लाभ देय नहीं होगा।

- g. राजस्थान राज्य के मूल निवास के लाभ हेतु सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगा। परन्तु जिन अभ्यर्थियों ने 10वीं, 12वीं एवं स्नातक कक्षा की परीक्षा राजस्थान राज्य में रहते हुए उत्तीर्ण की है उन्हें यह लाभ देय होगा।
- h. यदि राजस्थान राज्य के बाहर की कोई महिला राजस्थान राज्य में स्थित राजस्थान राज्य के मूल निवासी पुरुष से विवाह करती है तो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं विवाह के पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही लाभ देय होगा।
- i. रक्षा सेवाओं के आश्रितों अथवा केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में राजस्थान राज्य के बाहर पदस्थापितों के आश्रितों को भी राजस्थान के मूल निवास का लाभ देय होगा। बशर्त कि वे राजस्थान राज्य के मूल निवास का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त कर पी.टी.ई.टी. फार्म के साथ संलग्न किया हो।
- j. किसी भी अभ्यर्थी को उसके द्वारा ऑनलाइन प्रवेश फार्म में दी गई वरीयता के आधार पर परीक्षा केन्द्र यथासंभव आवंटित किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में आवंटित परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन संभव नहीं है।
- k. अभ्यर्थी जो दिव्यांग वर्ग से हो तथा श्यामपट्ट पर शैक्षणिक कार्य कराने में असमर्थ हैं वे पात्र नहीं हैं।
- l. किसी भी स्तर पर पाए गए तथ्यों का कोई भी गलत विवरण से पाठ्यक्रम में प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित उम्मीदवार की होगी और जमा किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
8. अधिकतम 5 प्रतिशत सीट राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों के द्वारा भरी जा सकती हैं बशर्त है कि अन्य राज्य के अभ्यर्थियों का मेरिट कटऑफ राजस्थान राज्य के सामान्य श्रेणी के छात्र से कम न हो, शेष सीटें केवल राजस्थान राज्य के मूल अभ्यर्थियों के लिए ही उपलब्ध होंगी। **राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में ही पात्र होंगे।**
9. पीटीईटी का परिणाम वेबसाइट www.ptetvmou2024.com पर उपलब्ध करवाया जायेगा तथा इसकी सूचना राजस्थान के अग्रणी समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जायेगी। अभ्यर्थियों की अंक तालिका डाक द्वारा नहीं भिजवाई जायेगी, पीटीईटी की वेबसाइट पर ही उपलब्ध होगी। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे पी.टी.ई.टी.-2024 की वेबसाइट को परीक्षा होने के बाद भी नियमित रूप से देखते रहें।
10. आवेदक को कॉलेज का आवंटन ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। काउंसलिंग कार्यक्रम का शेड्यूल राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा और ऑनलाइन काउंसलिंग में उनकी भागीदारी के संबंध में निर्देशों के साथ पी.टी.ई.टी.-2024 वेबसाइट www.ptetvmou2024.com पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्यर्थी इसका पालन करने के लिए बाध्य हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पीटीईटी परिणाम की घोषणा के बाद राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्रों और पी.टी.ई.टी.-2024 की वेबसाइट के संपर्क में रहें। जो अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं करते हैं या ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से आवंटित कॉलेज को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, वे अपनी पीटीईटी योग्यता स्थिति और प्रवेश का मौका खो देंगे।
11. ऑनलाइन काउंसलिंग विधि से अभ्यर्थियों को मेरिटनुसार महाविद्यालय आवंटित किया जायेगा। इस हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा के परिणाम जारी होने के पश्चात ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु वेबसाइट पर आवेदन कर निर्धारित फीस जमा करवानी होगी। जो अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग नहीं लेते हैं उन्हें मेरिट से हटा दिया जायेगा तथा उनके प्रवेश पर पुनर्विचार नहीं किया जायेगा।

12. समस्त प्रवेश प्रक्रिया वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा आयोजित पी.टी.ई.टी.-2024 परीक्षा के परिणामों के आधार पर पूर्ण की जायेगी। किसी भी महाविद्यालय को अपने स्तर पर किसी भी प्रकार के प्रवेश का अधिकार नहीं है। सभी सीटों पर प्रवेश समन्वयक पी.टी.ई.टी.-2024 के द्वारा ही होंगे।
13. अभ्यर्थी को महाविद्यालय का आवंटन पीटीईटी परीक्षा की मेरिट, संकाय, श्रेणी, महाविद्यालय की चयनित वरीयता आदि के आधार पर राजकीय नियमों के अनुसार किया जायेगा ना कि वह किस जिले या स्थान का रहवासी होने के आधार पर।
14. वर्तमान में अपवर्ड मूवमेंट की सुविधा प्रथम राउंड में ही उपलब्ध है। प्रारम्भ में आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्ट करने के पश्चात अभ्यर्थी इस सुविधा का लाभ ले सकता है। अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय को रिपोर्ट करने के पश्चात यदि उसे मेरिट के अनुसार नया महाविद्यालय आवंटित होता है तो उसे नये महाविद्यालय में रिपोर्ट करना आवश्यक होगा। पूर्व आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्ट नहीं करने की स्थिति में फ़ीस नहीं लौटाई जाएगी।
15. अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरते हुए अपनी श्रेणी, संकाय व लिंग आदि सभी सूचनाएँ सही व ध्यानपूर्वक भरें, इनमें परिवर्तन नहीं किया जायेगा अभ्यर्थी केवल स्वयं के एवं वैध मोबाईल नं. ही अंकित करें। भविष्य में सभी सूचनाएँ उसी नम्बर पर प्राप्त होंगी। इसी प्रकार अभ्यर्थी स्वयं के नाम के बैंक खाते की ही सूचना अंकित करें। मोबाईल नम्बर तथा बैंक खाते में परिवर्तन नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में गलत जानकारी पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
16. बी.एड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी के पास स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षण विषय आवश्यक है :-
- शिक्षण विषय (Teaching Subject) का तात्पर्य है कि अभ्यर्थी द्वारा स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर परीक्षा में लिये गये वैकल्पिक विषय से है जो कि अभ्यर्थी ने इन विषयों को दो वर्षों तक विश्वविद्यालय परीक्षा में लिये हों। विश्वविद्यालय की टी.डी.सी. प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष की परीक्षा में अनिवार्य विषय के रूप में लिये गये विषय जैसे सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिन्दी, सामान्य शिक्षा, सामान्य पर्यावरण, प्रारम्भिक कम्प्यूटर, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का इतिहास अथवा प्रारम्भिक गणित, **शिक्षण विषय के रूप में मान्य नहीं होंगे।** ऑनर्स पद्धति से डिग्रीधारकों के वैकल्पिक विषयों के अतिरिक्त यदि कोई विषय दो वर्षों से अधिक लगातार पढ़कर विश्वविद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण की है तो वह विषय शिक्षण विषय के रूप में मान्य होंगे। तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के तृतीय वर्ष की अंक तालिका में प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष के अंक पृथक रूप से अंकित होने अनिवार्य हैं।
 - बीएड परीक्षा में सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को सामाजिक अध्ययन विषय शिक्षण विषय लेने की अनुमति होगी जिन्होंने अपने स्नातक डिग्री में इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, भूगोल, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान अथवा समाजशास्त्र में से कम से कम दो विषय से पास की हो।
 - कृषि स्नातकों के अभ्यर्थी सामान्य विज्ञान एवं जीव विज्ञान विषय चुन सकते हैं तथा बी.एससी गृह विज्ञान डिग्री धारक अभ्यर्थी सामान्य विज्ञान एवं गृह विज्ञान विषय चुन सकते हैं।
 - बी.एससी. डिग्री धारक अभ्यर्थी रसायनशास्त्र के साथ वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र अथवा जीव विज्ञान विषय का चयन कर सामान्य विज्ञान विषय चुन सकते हैं।
 - जिन अभ्यर्थियों ने स्नातक स्तर पर राजनीति विज्ञान अथवा लोक प्रशासन विषय का अध्ययन किया है वे नागरिक शास्त्र को शैक्षणिक विषय के रूप में चुन सकते हैं।

योग्यता नियमों पर स्पष्टीकरण

1. पी.टी.ई.टी.-2024 मेरिट हेतु अभ्यर्थी की स्नातक स्तर की संकाय को ही आधार माना जायेगा। भिन्न संकाय की स्नातकोत्तर परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थी को संकाय अथवा शिक्षण विषय चुनने का अधिकार नहीं होगा।
2. यदि कोई अभ्यर्थी एक ही संकाय के दो विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री धारित है तो वह उस संकाय में पी.जी. विषयों के आधार पर शिक्षण विषय का चुनाव कर सकेगा।
3. वाणिज्य संकाय के स्नातक अर्थशास्त्र विषय नहीं चुन सकते हैं।
4. ऐसे अभ्यर्थी को पी.टी.ई.टी.-2024 परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा जो दो शैक्षणिक विषय चुनने के लिए नियमानुसार अधिकृत नहीं है।
5. बी.बी.ए./बी.सी.ए./बी.टेक./बी.एससी. बायोटेक्नॉलोजी/सूक्ष्म जीव विज्ञान/पर्यावरण विज्ञान इत्यादि विषयों में स्नातक डिग्री धारकों हेतु शैक्षणिक विषय की उपलब्धता नहीं होने के कारण पीटीईटी के लिए पात्रता नहीं रखते हैं।
6. जो अभ्यर्थी पी.टी.ई.टी.-2024 के ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म की अन्तिम तिथि के समय योग्यताधारी नहीं हैं वे भी परीक्षा में बैठ सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम काउंसलिंग में पंजीकरण की अन्तिम तिथि से पूर्व उपलब्ध होना चाहिए अन्यथा प्रवेश निरस्त माना जायेगा।
7. अयोग्य अभ्यर्थी को मात्र शुल्क जमा कराने के आधार पर प्रवेश का अधिकार नहीं होगा।
8. अन्य :-
 - A. ऐसे अभ्यर्थी जो उच्च माध्यमिक परीक्षा के पश्चात तीन वर्षीय डिग्री उत्तीर्ण कर चुके हैं परन्तु प्रथम वर्ष की परीक्षा के अंक विश्वविद्यालय द्वारा द्वितीय वर्ष की अंक तालिका में शामिल नहीं है, तो वे बीएड प्रवेश परीक्षा हेतु पात्रता नहीं रखते हैं।
 - B. ऑनर्स डिग्री धारक अभ्यर्थी जिन्होंने वैकल्पिक विषय के अतिरिक्त कोई विषय दो वर्ष तक नहीं पढ़ा है तो वह उन विषयों को शैक्षणिक विषय के रूप में नहीं चुन सकता है।
 - C. वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा उत्तीर्ण की गई 1 वर्षीय बी.ए.पी./बी.सी.पी./बी.एससी.पी. परीक्षा के आधार पर त्रिवर्षीय डिग्री धारित अभ्यर्थी पीटीईटी प्रवेश परीक्षा हेतु पात्र माने जायेंगे।

4 वर्षीय बी.ए. बी.एड / बी.एससी. बी.एड. कोर्स में प्रवेश हेतु नियम

1. राजस्थान के बी.ए. बी.एड/बी.एससी, बी.एड महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु पी.टी.ई.टी.-2024 परीक्षा करवाई जायेगी। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। जिसका शुल्क 500/- रुपये है। अभ्यर्थी आवेदन दिनांक 06 मार्च से 31 मार्च, 2024 तक कर सकेंगे।
2. वांछनीय योग्यता हेतु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर अथवा समकक्ष बोर्ड से अभ्यर्थी ने उच्च माध्यमिक परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों एवं अनु. जाति, अनु. जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग वर्ग, विधवा, परित्यक्ता महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक आवश्यक हैं। न्यूनतम प्रतिशत में किसी भी प्रकार की छूट नहीं है (एक अंक की भी नहीं)।
3. NCVT से मान्यता प्राप्त आई.टी.आई या पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय से दो या अधिक वर्ष का डिप्लोमा के साथ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर के आदेशानुसार न्यूनतम योग्यता रखने वाला भी इस परीक्षा हेतु पात्र होंगे।

4. 4 वर्षीय बी.एससी. बी.एड. कोर्स में प्रवेश लेने के लिए उच्च माध्यमिक परीक्षा में विज्ञान संकाय होना आवश्यक है।
5. वे अभ्यर्थी जो उच्च माध्यमिक परीक्षा में इस वर्ष सम्मिलित हो रहे हैं वे भी इस शर्त पर परीक्षा दे सकते हैं कि उनका उच्च माध्यमिक परीक्षा परिणाम काउंसलिंग में पंजीकरण की अन्तिम तिथि से पूर्व उपलब्ध होना चाहिए।
6. बीए.बी.एड/बी.एससी बीएड परीक्षा-2024 में प्राप्तांकों के आधार पर संकायवार एवं श्रेणीवार मेरिट लिस्ट बनाई जायेगी। जो पीटीईटी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।
7. श्रेणीवार आरक्षण एवं मूल निवास हेतु शर्तें बी.एड. प्रवेश में दर्शाई शर्तों के अनुसार ही होगी।

अभ्यर्थियों के लिए सामान्य नियम

- i. अभ्यर्थी को पीटीईटी में बैठने की अपनी पात्रता का निर्धारण स्वयं करना चाहिए क्योंकि परीक्षा में बैठने के स्तर तक आवेदन-पत्रों की जांच विश्वविद्यालय स्तर पर नहीं की जाती है। पीटीईटी परीक्षा में बैठना अभ्यर्थी की अपनी ज़ोखिम पर है।
- ii. पीटीईटी परीक्षा की मेरिट में यदि उसका चयन हो भी जाता है तब भी अपात्र/अयोग्य पाए जाने पर उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा एवं शुल्क भी लौटाया नहीं जायेगा।
- iii. अभ्यर्थी को नियमावली व सामान्य निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और उनकी पालना करनी चाहिए अन्यथा उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। पात्रता नहीं रखने वाले अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे।
- iv. किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में किसी श्रेणी विशेष का उल्लेख करना परन्तु वास्तविकता में उस श्रेणी से सम्बन्ध नहीं रखना या आवेदन-पत्र में श्रेणी आदि का उचित अंकन किए बगैर प्रमाण-पत्रादि की प्रतिलिपि संलग्न कर देना या ऑन-लाइन आवेदन-पत्र में गलत अथवा असत्य सूचना / तथ्य अंकित करना “दुराचरण” माना जायेगा और परिणामस्वरूप ऐसा आवेदन-पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- v. पीटीईटी प्रवेश परीक्षा शुल्क उपरोक्त दर्शाई गई किसी भी दशा में प्रत्यर्पणीय नहीं (Non-refundable) है। अतः नियमों और निर्देशों के अन्तर्गत जो अभ्यर्थी पात्रता रखते हैं केवल उन्हें ही आवेदन करना चाहिए।

पी.टी.ई.टी. प्रवेश परीक्षा हेतु मार्गदर्शन

1. प्रतियोगी परीक्षा की प्रकृति के अनुसार किसी भी तरह का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यह सर्वोत्तम को चुनने की एक प्रक्रिया है तथापि यहां कुछ रूपरेखा दी जा रही है।
2. पीटीईटी परीक्षा में एक प्रश्न-पत्र होगा जिसमें चार भाग होंगे। प्रत्येक भाग में 50 प्रश्न होंगे तथा प्रश्न-पत्र में कुल 200 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे एवं परीक्षा अवधि तीन घण्टे की होगी।
 - I. मेन्टल एबिलिटी : मानसिक योग्यता अनुभाग में निम्नलिखित क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए 50 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल होंगे: (i) तर्क (ii) कल्पना (iii) निर्णय और निर्णय लेना (iv) रचनात्मक सोच (v) सामान्यीकरण (vi) निष्कर्ष निकालना आदि।
 - II. टीचिंग एटीट्यूड एण्ड एप्टीट्यूड टेस्ट : शिक्षण मनोवृत्ति और योग्यता परीक्षण अनुभाग में मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में 50 प्रश्न शामिल होंगे: (i) सामाजिक परिपक्वता, (ii) नेतृत्व, (iii) व्यावसायिक प्रतिबद्धता, (iv) पारस्परिक संबंध (v) संचार, (vi) जागरूकता आदि।

यह दृष्टिकोण और जागरूकता की परीक्षा होगी जिसमें प्रश्नों के उत्तर 3, 2, 1 और 0 के पैमाने पर दिए जाएंगे।

- III. जनरल अवेयरनेस: सामान्य जागरूकता अनुभाग में मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में 50 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल होंगे: (i) करंट अफेयर्स (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय), (ii) भारतीय इतिहास और संस्कृति, (iii) भारत और इसके प्राकृतिक संसाधन। (iv) महान भारतीय व्यक्तित्व (अतीत और वर्तमान), (v) पर्यावरण जागरूकता, (vi) राजस्थान के बारे में ज्ञान, आदि।
- IV. लैंग्वेज प्रोफिशियेन्सी (हिन्दी अथवा अंग्रेजी): भाषा प्रवीणता (अंग्रेजी या हिंदी) अनुभाग में हिंदी या अंग्रेजी भाषा में दक्षता के संबंध में मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं से संबंधित 50 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल होंगे: (i) शब्दावली, (ii) कार्यात्मक व्याकरण, (iii) वाक्य संरचनाएं, (iv)) समझ, आदि।
3. प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न बहुविकल्पी न्यूनतम चार उत्तरों सहित वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। (मॉडल प्रश्न पत्र में नमूना देखें।)
 4. लैंग्वेज प्रोफिशियेन्सी भाग को छोड़कर सम्पूर्ण प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में होगा, किन्तु दोनों भाषाओं में प्रश्न-पत्र या उत्तर-विकल्पों में अंतर होने की दशा में अंग्रेजी अनुवाद को अन्तिम माना जायेगा।
 5. प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, सम्पूर्ण प्रश्नपत्र 600 अंकों का होगा।
 6. प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिये जायेंगे। टीचिंग एटीट्यूड एण्ड एप्टीट्यूड टेस्ट सम्बन्धी प्रश्नों के उत्तरों का मूल्यांकन 3 से 0 अंक की स्केल पर होगा अर्थात् प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 3, 2, 1 अथवा 0 अंक होगा।
 7. सभी विषयों का प्रश्नपत्र 'टेस्टबुकलेट' के रूप में होगा जिसमें क्रमशः 1, 2, 3,....., 50 तक क्रमांक में 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के न्यूनतम चार विकल्पी उत्तर (A) (B) (C) (D) आदि रूप में होंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उसे दिये गये उत्तरपत्रक में प्रश्न के अनुरूप क्रमांक में काले/नीले बॉलपेन से पूरे गोले को गहरा काला/नीला करना है। निशान गहरा काला/नीला और गोला पूरा भरा होना चाहिए। एक प्रश्न के उत्तर के लिए केवल एक गोले को गहरा काला/नीला करना है जैसा नमूने में दर्शाया गया है।

सही गोला करने का उदहारण



- दी हुई उपयुक्त जगह को ही काला/नीला कीजिए। उत्तरपत्रक पर इधर-उधर कहीं कोई निशान मत लगाइए। एक से अधिक गोले को काला/नीला कर देने से वह उत्तर गलत माना जाएगा। उत्तरपत्रक पर रफ कार्य नहीं करना है। टेस्ट बुकलेट में रफ कार्य के लिए अलग से स्थान दिया हुआ है, उस जगह का उपयोग कीजिए। मूल्यांकन केवल उत्तरपत्रक के आधार पर ही किया जायेगा। **परीक्षा उपरान्त प्रश्न-पत्र पुनः जमा करवाना है। ओ.एम.आर. की कार्बन प्रति अभ्यर्थी अपने साथ ले जा सकेगा।**
8. टेस्ट बुकलेट विभिन्न समुच्चयों (Combinations) में व्यवस्थित होगी। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे प्रश्न-पुस्तिका का क्रमांक उत्तर-पत्रक पर सावधानी से सही अंकित करें और अंकों के समानान्तर गोलों को सावधानी से गहरा काला/नीला करें।
 9. अर्हता प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों की योग्यता सूची पीटीईटी नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।
 10. दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने पर मेरिट का आधार उनकी अर्हता परीक्षा के प्राप्तांक होंगे और यदि अर्हता परीक्षा के अंक भी समान होंगे तो जन्मतिथि को आधार माना जायेगा एवं उम्र में वरिष्ठ अभ्यर्थी को उच्च वरीयता में माना जायेगा।

11. प्रवेश-पत्र पी.टी.ई.टी.- 2024 की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।
12. पीटीईटी के उत्तर पत्रक की रिसकेनिंग करवाने हेतु अभ्यर्थी को परीक्षा परिणाम घोषणा तारीख के 10 दिन की अवधि में रु. 200/- (रूपये दो सौ मात्र) शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन करना है।
13. मूल उत्तर-पत्रक (ओरिजिनल ओ. एम. आर) किसी भी सूत्र में परीक्षा उपरांत किसी भी अभ्यर्थी या उसके प्रतिनिधि के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे।
14. आवेदन-पत्र अत्यन्त सावधानी पूर्वक भरकर ऑनलाइन सबमिट करें एवं परीक्षा शुल्क के सफलतापूर्वक ऑनलाइन भुगतान या बैंक चालान से भुगतान कर उसका प्रिन्ट लें एवं परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड प्रति व आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति अपने पास रखे जिसे काउंसलिंग के उपरान्त आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के समय जमा करवाया जाना आवश्यक है। आवेदन-पत्र में एक भी गलत या अनुचित इन्द्राज जानबूझ कर टेस्ट में नाजायज लाभ लेने की नीयत से किया हुआ माना जाएगा तथा ऐसा कृत्य इस टेस्ट हेतु आपकी अभ्यर्थिता को निरस्त करने का पर्याप्त आधार होगा।
15. यदि आप सामान्य श्रेणी से भिन्न यथा राजस्थान के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ विशेष पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांग, विधवा/परित्यक्ता, टाडा/माडा/सहरिया श्रेणी क्षेत्र के निवासी, सैनिक/सेवानिवृत्त सैनिक या उनके आश्रित हैं तो उस श्रेणी से सम्बन्धित नियमानुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी दस्तावेज की सत्यापित प्रति काउंसलिंग के उपरान्त आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के समय जमा करवाया जाना आवश्यक है। **अभ्यर्थी ध्यान दें कि अन्य राज्यों के निवासी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी माने जायेंगे।**
16. इस टेस्ट व इसके द्वारा चयन के निमित्त राज्य सरकार व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा समय-समय पर जारी आदेश आदि लागू होंगे।
17. पीटीईटी आवेदन-पत्र की डाउनलोडेड प्रिन्ट प्रतियों एवं साथ में दिये जाने वाले दस्तावेजों को इस प्रकार रखें –
 1. पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र की एक सुपाठ्य फोटो प्रति
 2. अंकतालिकाएं एवं अन्य कोई शैक्षिक प्रमाण-पत्र निम्न क्रम में रखें :-
10वीं, 12वीं, स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं अन्तिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर
 3. जाति प्रमाण-पत्र
 4. दिव्यांगता/ सैनिक या सैनिक आश्रित/विधवा/तलाकशुदा का प्रमाण पत्र
 5. EWS प्रमाण-पत्र
 6. मूल निवास प्रमाण-पत्र आदि
 7. अपार/ABC ID

नोट: इस बिन्दु में क्रम से 2 से 5 में दिये गये सभी दस्तावेजों या प्रमाण-पत्रों, जो आपसे सम्बन्धित हो की सत्यापित छाया प्रतिलिपियां उपरोक्त क्रमानुसार व्यवस्थित कर अपने पास सुरक्षित, संभाल कर रखें जिन्हें काउंसलिंग उपरान्त आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के समय आवश्यक रूप से जमा करवाना है। उक्त के अभाव में आपको आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश दिया जाना सम्भव नहीं होगा।
18. न्यायालय में दायर सभीवादों हेतु क्षेत्राधिकार सिर्फ कोटा होगा। राजस्थान के बी.एड महाविद्यालयों में सत्र 2024-25 हेतु प्रवेश देने की जिम्मेदारी सिर्फ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा की है अतः प्रवेश से संबंधित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्यों के विरुद्ध न्यायालयों में दायर वाद वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,